

(6)



न्यायालय श्रीमान विष्णुदा महोदय, राजस्थ पण्डित म०प्र० ज्ञालियर,

भैम, भोपाल

R 1470-PB217

बाबूलाल बोत्सज श्री बालाप्रसाद निवासी ग्राम

तारा सेवनियाँ, तहसील हुजूर जिला भोपाल --- अवैदक
विरुद्ध

१- हमीरसिंह, २- जितेन्द्रसिंह, बा०स० कृष्णकुमार,

३- धन्कुंवर पल्ली स्व० श्री वृष्णि कुमार,

निवासीगण ग्राम पुरा हिन्द्वारा कृष्णक ग्राम

तारा सेवनियाँ, तहसील हुजूर जिला भोपाल;

४- बात्याराम बा० केशोराम निवासी ग्राम पुरा -

हिन्द्वारा तहसील हुजूर जिला भोपाल --- अनावैदकगण

पुनरीकाण बन्तीत धारा ५० म०प्र० मू-राजस्थ संहिता, १६५६

विरुद्ध आदेश अपर तहसीलदार महोदय वृत्त-४, तहसील हुजूर, भोपाल
के प्रकरण क्रमांक ३०८-७० २०१६-१७ " हमीरसिंह विरुद्ध बाबूलाल

वै वारित आदेश दिनांक २४-४-१७ से अस्तुष्ट होकर पुनरीकाण
समयावधि नै उत्सुक है ।

---०००---

३-२३-९५-२८
आठ बार्षी छ पाठ

235

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

6

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1470 -पीबीआर/17

जिला भोपाल

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर	तथा दिनांक
<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.4.17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि प्रकरण में पृथक से मूल प्रकरण बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>(मनोज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>		1-6-2017